इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण को मंजूरी दी

शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटी

Sarkari Naukri Exams.com

हाईकोर्ट का फैसला

प्रयागराज | विधि संवाददाता

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों पर लगी रोक हट गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरजनपदीय स्थानांतरण में अध्यापिकाओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अध्यापिकाएं यदि एक बार अंतरजनपदीय तबादला ले चुकी हैं और उसके बाद उनकी शादी हुई है तो वे अंतरजनदीय तबादले की मांग दोबारा कर सकती हैं। उन्हें मेडिकल आधार पर भी दोबारा तबादले की मांग करने का अधिकार है। यह राहत सिर्फ अध्यापिकाओं के लिए है जबकि अध्यापकों पर दो दिसंबर 2019 का शासनादेश लागू होगा और वे एक बार अंतरजनदीय तबादले के बाद दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकेंगे।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने प्रदेश सरकार की अंतरजनपदीय तबादला नीति को चुनौती देने वाली दिव्या गोस्वामी सहित अन्य कई याचिकाओं पर दिया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 15 अक्तूबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को तबादलों की सूची को अंतिम रूप नहीं देने का निर्देश दिया था। शिक्षकों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमांत सिंह, अनिल सिंह बिसेन ने बताया कि याचिकाओं में दो दिसंबर 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया कि जो शिक्षक एक बार अंतरजनपदीय तबादला ले चुके हैं, वे दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकेंगे। इन वकीलों ने बताया कि कोर्ट ने शासनादेश के क्लाज 16 को सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि क्लाज 16 बेसिक शिक्षा स्थानातंरण नीति 2008 और आटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों के विपरीत है। **संबंधित खबर पेज 10**

15 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित किया था

बदली थी तबादला नीति

योगी सरकार ने लॉकडाउन से पहले शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था। इसमें बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 5 साल की समय सीमा को 3 साल कर दिया गया था।

Sarkari Naukri Exams.com

नई दिल्ली (ILNS): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की तरह आया है।

उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य में 1 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने इस आदेश में एक शर्त भी लगाई है। उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में, यूपी सरकार के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक बार एक शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने के बाद इसे फिर से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

आदेश में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षकों को फिर से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यदि विशेष परिस्थितियां हैं तो इसे अन्य समय पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस मामले में, दिव्या गोस्वामी सहित सैकड़ों शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन शिक्षकों के निष्कासन के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी जिन्होंने स्थानांतरण का लाभ उठाया था।

जानकारी के अनुसार, गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को फिर से मेडिकल ग्राउंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। अलग-अलग-अलग-अलग परिस्थितियों में भी विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे विवाहित महिला शिक्षक जिनका विवाह से पहले तबादला हो गया था, लेकिन अब वे अपनी जरूरत के आधार पर ससुराल जिले में स्थानांतरण करना चाहती हैं, वे भी इस दायरे में आ सकती हैं।

Sarkari Naukri Exams.com